22.

भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों की अवधारणाः अल्पमत व गठबंधन सरकार में अन्तर

सुनिता चौधरी
शौधार्थी
राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर
E-mail:shanudhaya@gmail.com
Contact No. +91-8290554813

Abstract

भारत एक संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र है। वर्तमान में बहुदलीय शासन व्यवस्था भारतीय राजव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। संसदीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत सरकार बनाने के लिए लोकप्रिय सदन में किसी राजनीतिक दल का बहुमत होना आवश्यक है। जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलने पर अनेक दल अपने संयुक्त बहुमत से संविद सरकार बना सकते है। 1989–2014 तक केन्द्र में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। (2014 के आम चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ)। भारतीय राजनीतिक में राजनीतिक शुन्यता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। अब तक केन्द्र व राज्य स्तर पर बनी संविद सरकारे "असफल प्रयोग" ही रही है। मिली–जुली सरकारों की सफलता के लिए जिस समझ,सुझबुझ, राजनीतिक परिपक्वता और संस्कृति की आवश्यकता होती हैं राजनीतिक दल उसे नहीं अपना पाए है। बहुदलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता समाप्त हो गई है। सही और सम्पूर्ण अर्थो में कोई भी राजनीतिक दल अखिल भारतीय दल नहीं हैं। इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप "त्रिशंकु लोकसभा" और "खण्डित जनादेश" की स्थिति उत्पन्न होती है।

भारतीय राजनीति सम्भावनाओं को खेल और परिस्थितियों पर निर्भर गतिशील कला है। भारत में बनी गठबन्धन व अल्पमत सरकारों के निर्माण ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्वकीकमजोरी को उजागर कर दिया। राजनीतिक नेतृत्व में राष्ट्रीय व्यक्तित्व की कमी होती जा रही है, भारत में अधिकाश गठबधन सरकारों के निर्माण में राजनितिक नेतृत्व की उच्च महत्वकांक्षा व स्वार्थों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय नेतृत्व तथा धरती पुत्र के सम्प्रत्यय ने संविद सरकारों के निर्माण को बल प्रदान किया है।

भारत में प्रचलित लोकतान्त्रिक व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। यह विकेन्द्रित लोकतान्त्रिक व्यवस्था भारत के जनमानस पर अपनी महत्ता के कारण अत्यधिक प्रभावपूर्ण स्थिति बना चुकी है। स्वतन्त्रता के पश्चात् के वर्षों के राजनीतिक घटनाकर्म का सिहांवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थयी है। थोड़े बहुत राजनितिक उतार–चढ़ाव के साथ–साथ हमारी राजनितिक व्यवस्था ने प्रत्येक स्तर पर समाज के सभी व्यक्तियें को प्रभावति किया है। वर्तमान विश्व के अधिकतर राज्य सम्प्रभुता सम्पन्न तथा लोकतान्त्रिक है। निर्विवादित रूप से सरकार राज्य का अपरिहार्य तत्व है जिसके द्वारा राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। समान राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति एकत्रित हो कर अपना राजनितिक दल बनाते है, जिसके सामान्य सिद्धान्त निश्चित कर लिए जात है। वर्तमान में अनेक राजनितिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए उत्सुक होते है, परन्तु कोई एक राजनितिक दल नहीं रह गया, जिसके प्रति सभी नागरिकों की निष्ठा जुड़ी हो, परिणामस्वरूप बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्व में आती है, यहीं से गठबंधन और अल्पमत सरकार का दौर शुरू होता है, जिसे मिली जुली राजनीति कहा गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् बनी संविद सरकारों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गठबंधन सरकारों का निर्माण किसी निश्चित सिद्धांत या कार्यकर्म के आधार पर नहीं हुआ था यही कारण है कि इनका विघटन शीघ्र ही हो जाता रहा है। दल बदल के कारण इन सरकारों में अथिरता बहुत पायी गयी, इसी अस्थिरता के कारण नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन दोनों ही बुरी तरह प्रभावित होती है। गठबंधन सरकार में नोकरशाही को भी बढ़ावा मिलता है। मंत्री पद राजनितिक सोदेबाजी के साधन बन गये, विभिन्न घटकों को संतुष्ट करने और दल परिवर्तन को रोकने के लिए सांसदो व विधायकों को मन्त्रिमण्डल में स्थान देना आवश्यक हो जाता है। प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्था में राजनितिक सत्ता का प्रमुख केन्द्र मन्त्रिमण्डल होता है जो अपने कार्यो के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।

भारतीय राजनीति का स्वरूप–

भारत की राजनीति राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकी क्योंकि भारतीय राष्ट्र का मूल आधार एक जन, एक संस्कृति और एक राष्ट्र है। वहीं भारतीय राजनीति का मूल आधार जाति, क्षेत्र, पंथ, धर्म और सत्ता है। दूसरी और भारत की राजनीतिक संस्कृति और देश की सनातन संस्कृति के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है। यही एक वजह है कि सम्पूर्ण भारतीय राजनीति का कोई केन्द्रीय आदर्श नहीं। व्यक्ति आधारित दलों में लोकतंत्र का अभाव है, इस प्रकार की राजनीति का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ पर अनगिनत दल है जिनके बीच परस्पर अविश्वास व्याप्त है। भारत जैसे बहुलताओं भरे देश में जहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृ तियों, क्षेत्रीय पहचानों, जातियो ंव पहचानो के लोग रहते है। ऐसे में जनादेश का खंडित होना स्वभाविक प्रक्रिया है। केन्द्र स्तर पर एक दल को बहुमत मिल पाना तभी सम्भव है जब कोई एक दल ही देश के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखे। सामाजिक पहचान, समूहों की चेतना बढ़ने और महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होने की स्थिति में गठजोड़ की राजनीति पनपती रही है। इसलिए गठबन्धन निर्माण की प्रक्रिया और उसके स्थायित्व का सवाल आज की राजनीति का एक हिस्सा बने हुए है। जिसके आधार पर शासन व्यवस्था की स्थापना करते है, लेकिन गठबंधन के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था स्थायी रूप से प्राप्त नहीं कर पायी क्योंकि विभिन्न राजनितिक दल इसमें वैचारिक मतों के आधार पर शामिल होते है।

अल्पमत व गठबंधन सरकार में अन्तर –

आम चुनावों में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तब ऐसे दल को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जात है जिसके मतों की संख्या सर्वाधिक हो। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में दुबारा चुनाव से बचने के लिए अल्पमत सरकार का निर्माण किया जाता है। अतार्थ अल्पमत दल अन्य दलों का सहयोग ले कर संसद में विश्वास मत साबित करता है तथा सरकार का निर्माण करता है। अल्पमत सरकार तभी बनी है जब किसी दल ने गठबंधन बनाने से इंकार कर दिया हो। कई बार बहुमत वाली सरकार भी तब अल्पमत में आ जाती है जब दल–बदल की राजनीति अपनाते है। अल्पमत सरकार को सहयोग करने वाले दल सरकार में शामिल नहीं होते बल्कि बहार से समर्थन देते है, इसे पर्दे के पीछे का समर्थन कहा गया है। विवाद उत्पनन होने पर समर्थन वापस लेकर सरकार को अपदस्त भी कर दते है। सर्वप्रथम पूर्ण बहुमत वाली सरकार 1969 में कांग्रेस दल के विभाजन से इंदिरा गाँधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी जो 1971 में लोकसभा मध्यावधि चुनाव तक चली। इसके बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में केन्द्र में जुलाई 1979 को समाजवादी जनता दल की अल्पमत सरकार बनी। 1989 में नवीं लोकसभा के चुनाव में वी.पी. सिंह ने राष्ट्रिय मोर्चे की अल्पमत सरकार का निर्माण किया। 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की अल्पमत सरकार बनी जिसने पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया।

भारत में गठबन्धन सरकार की कल्पना स्वर्गीय डॉ. राममनोहर लोहिया ने की थी उनका मत था कि केन्द्र व राज्यों में सत्ता पर कांग्रेस का जो एकाधिकार है वह तभी समाप्त हो सकता है। जब विभिन्न राजनीतिक दल अपने मतभेद भूल कर कांग्रेस के विरूद्ध चुनावी समझोता करें और सरकार बनाये। 1977 से पूर्व तक एक दलीय प्रधानता थी, इसके बाद अनेक राज्य स्तरीय व क्षत्रीय दलों का उदय हुआ तथा एक दलीय शासन पद्धति अब बहुदलीय शासन पद्धति में बदलने लगी तथा गठबंधन सरकारों का निर्माण

ISSN: 2348-1390
Impact Factor: 4.321 (IIJIF)

आरम्भ हुआ। चुनावों में जब एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तब कुछ दलों का समझौता या गठबन्धन होता है जो मिलकर सरकार बनाते है। प्रायः दो प्रकार के राजनीतिक गठबन्धन का स्वरूप देखने को मिलता है प्रथम– वे गठबंधन जो कुछ विशेष राजनितिक दलों के द्वारा आम चुनवों से पूर्व बना लिये जाते है। दूसरा– वे गठबन्धन जो चुनवा के पश्चात बनते है और परिस्थिति जन्य होते है, यह उस समय अस्तित्व में आता है जब चुनवों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। चुनाव के पूर्व जो गठबन्धन बनते है उसमें अवसर वादित के तत्व कम होते है। केन्द्र में गठबन्धर सरकार का सर्वप्रथम निर्माण 1977 में मोरारजी देसाई वाली सरकार के साथ हुआ। गठबंधन में शामिल होने वाले सभी दलों के सदस्यों को अनौपचारिक रूप से सरकार में स्थान देना अनिवार्य हो जाता है तथा सभी दल प्रत्यक्ष व अप्रत्यख रूप से सरकार को प्रभावित करते है।

संविद सरकारों के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि ये सरकार जनकल्याण के सहारेनचल कर राजनीतिक जोड़–तोड़ के सहारे चलती है। गठबंधन सरकारों में कार्य क्षमता का अभाव पाया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गो, समुदायों के लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था में सहभागी हो रहे है। संसदीय शासन व्यवस्था में गठबन्धन सरकार को अच्छी सरकार नहीं माना जाता है क्योंकि यह राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। मिली–जुली सरकारों के समालोचनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अल्पमत व गठबंधन सरकारोंका निर्माण राजनीतिक दलों के बाहुल्य और देश में विकसित हो रही दल प्रणाली की स्वभाविकता का परिणाम है। सैद्धान्तिक रूप से गठबन्धन सरकारों के अस्तित्व से भारतीय लोकतन्त्र को मजबूती मिली है। जनता किसी भी एक राजनीतिक दल की तानाशाही को सहन नहीं कर सकती, राजनीतिक दलों के मध्य खुली प्रतिस्पर्दा ने लोकतन्त्र को आधार प्रदान किया है।

गठबन्धन सरकार के सुझाव –

1. अब तक केन्द्रीय स्तर पर जो गठबन्धन सरकारें गठित हुईं, उनमें 1977 की जनता पार्टी सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी सरकारों का गठन बाहरी समर्थन के आधार पर हुआ है। बाहरी समर्थन के आधार पर गठित ये सरकारें अपनी प्रकृति से ही अस्थायी होती है। यह तो**'दायित्व के बिना सत्ता'** (**Power without responsibility**) की स्थिति है। बाहर से समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों का उद्देश्य "निरन्तर दबाव की राजनीति" को अपनाना ही रहा है। "बाहरी समर्थन के आधार पर कार्यरत अल्पमतीय सरकारों का प्रयोग पूर्णतया असफल सिद्ध हुआ है।"
2. गठबन्धन सराकर को उसे स्वाभाविक रूप में अपनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से गठबन्धन सराकर का नेतृत्व उस राजनीतिक दल के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसने चुनाव में पहला स्थान या दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऐसी सरकार निरन्तर दबाव और प्रति दबाव से पीड़ित एक कमजोर सरकार बनी रही। लोकतन्त्र बहुमत शासन का नाम है और ऐसे अल्पमत शासन को लोकतन्त्र कह पाना भी बहुत कठिन हो जाता है।
3. गठबन्धन सरकार के नेतृत्व का कार्य एक दल की सरकार का नेतृत्व करने की तुलना में निश्चित रूप से अधिक कठिन कार्य होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी सरकार का नेतृत्व शासन की कला में निपुर्ण और अधिक परिपक्व व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के द्वारा किया जाना चाहिए। गठबन्धन सरकारो का नेतृत्व जब प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा किया जाता है, तब उसके सफल कार्यकरण की संभावनायें निश्चित रूप से बढ़ जाती है।
4. गठबन्धन सरकारें दो रूपों में हो सकती हैः प्रथम राजनीतिक दलों के चुनावे पूर्व गठबन्धन के आधार पर और द्वितीय राजनीतिक दलों के बचाव के पश्चात् स्थापित गठबंधन के आधार पर। इनमें प्रथम गठबन्धन ही मिली–जुली सरकार का उचित आधार हो सकता है। अब तक केन्द्र में जो गठबन्धन सरकारें स्थापित हुईं, उनमें**'वैधता का संकट'** देखा गया है। जब **'चुनाव पूर्व गठबंधन'** के आधार पर गठबन्धन सरकारें गठित होंगी, तो उन्हें जनादेश की शक्ति और वैधता प्राप्त होगी।

निष्कर्षतः भारत में केन्द्र एवं राज्य–राजनीति के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मिली–जुली सरकारें राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अस्थिर होती हैं। वे टिकाऊ और सुसंगठित सिद्ध नहीं होती। लॉर्ड ब्राइस का यह कथन ठीक प्रतीत होता है कि मिश्रित मन्त्रिमण्डलों की सरकार कमजोर होती है। जब सरकार को अपनी सुदृढ़ स्थिति पर भरोसा नहीं होगा, विभिन्न घटकों के परस्पर मतभेद और तनाव के कारण मन्त्रिमण्डल की स्थिति डावाडोल बनी रहेगी, तो वह प्रशासन की ओर कैसे ध्यान दे सकेगी और कैसे जन–कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेगी। गठबन्धन सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है कि कोरी सिद्धान्तवादिता का त्याग कर समझौते की प्रवृत्ति और सार्वजनिक जीवन में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाये। अहवादी व्यक्तित्व और अनुशासनहीनता का त्याग कर सार्वजनिक नैतिकता के भाव को ग्रहण करने की आवश्यकता है। संयम, सहिष्णुता और समायोजन के भाव को अपनाने पर ही गठबन्धन सरकार, सही अर्थों में सरकार हो सकती है।

सन्दर्भ सूची –

1. कुमकुम कपूर : राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार
2. धर्मचन्द जैन : भारत में सविद राजनीति : जनता सरकारें, युनिवर्सिटी बुक हॉउस, जयपुर, 2009
3. सुशीला कोशिक : भारतीय शासन और राजनीति, हिनदी माध्यम कार्यान्वय निदेशाल्य, 1984
4. के. हरिन्दर : भारतीय शासन एवं राजनीति, सुजीत पब्लिकेशन, जालन्दर, 1970
5. के.पी. करूनाकरण : कोइलिशन गवर्नमेन्ट इन इण्डिया प्रोब्लम एण्ड प्रोस्पक्ट्स, इंस्टिट्यूट अडवांस स्टडी, शिमला, 1975
6. Eswaran Sridharan: Coalition Politics in India: Selected Issues at the Central and the states.
7. N.Jose Chandra : Coalition Politics : The Indian Experience.

❑❑❑